

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 314/18

सरकार

बनाम

श्री: हरिबिंद सारुभा
का. के. का. मीन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27.2.18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री हरिबिंद पुत्र श्री रुभा जाति हरा निवासी मीन तहसील महवा ने संवत् 20-74 फसल रवि / खरीफ में ग्राम मीन की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 14.98 किस्म अच्छा भूमि से 0.02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से अच्छा भूमि कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.88 का 50 गुना 44 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाना है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा) तहसीलदार

महवा जिला दौसा

रजिस्टर न/ध को पेश नं. 27 पर
वर्ष 2017-18 ...
की शास्ति ...
की जमा ...
दिनांक : 5/3/18 तहसीलदार लेखाकार
Poshay
तहसील-महवा